न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास– डॉ0 अमित यादव,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 113 / 2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021 / 174

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. मनीष पुत्र कंवरीलाल जाति जाट निवासी अठियासन तहसील व जिला नागौर 2. फतेह मोहम्मद पुत्र कंवरूदीन जाति मुसलमान निवासी चांवरी का बास ईनाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पुनियां उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकील श्री पवन श्रीमाली उपस्थित।

:: निर्णय :: दिनांक :– 23.08.2023

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा जब्तसुदा पिकअप महेन्द्रा वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी.7290 मय 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व ट्रेक्टर टैंकर मय 02 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी मनीष को जरिये नोटिस तलब किया गया। तत्श्चात आदेशिका दिनांक 18.05.2022 के अनुसार अप्रार्थी संख्या–2 फतेह मोहम्मद को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया एवं जरिये नोटिस तलब किया गया, परन्तु अप्रार्थी संख्या–2 फतेह मोहम्मद के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 15.02.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 19.10.2021 को पुलिस थाना कोतवाली नागौर द्वारा डिटैन किये अवैध बायोडीजल की सूचना दूरभाष पर दिये जाने पर श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी, हमराह दिव्या विश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक, रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक, शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली पहुंचकर थानाधिकारी से सम्पर्क किया। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त तहरीर के आधार पर मौके पर डिटैन शुदा महेन्द्रा पिकअप वाहन संख्या आर. जे. 21 जी.बी. 7290 व ट्रैक्टर के टैंकर का मौका निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति अप्रार्थी मनीष से पूछताछ कर उसके अलग से बयान दर्ज किये गये। श्री मनीष ने अपने बयानों मे बताया कि यह महेन्द्रा पिकअप वाहन सं. आर.जे. 21 जी.बी. 7290 व ट्रैक्टर टैंकर उसका स्वयं का है व उसने दिनांक 11.10.2021 को हाईवें पर खडे ऑयल टैंकर से उसकी पिकअप पर बनी 1000 लीटर क्षमता की प्लास्टिक टंकी मे उसने 200 लीटर बायो डीजल भरवाया था। मौके पर डिटैन शुदा महेन्द्रा पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी. 7290 का मौका निरीक्षण करने पर पाया कि महेन्द्रा पिकअप के उपर 1000 लीटर क्षमता की एक पारदर्शी प्लास्टिक की सफेद रंग की टंकी फिट की गई है जिसमें एक डिस्पैसिंग यूनिट मय नोजल लगा हुआ पाया गया। प्लास्टिक टंकी मे पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का डिपरोड से मापन करने पर कुल 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ प्लास्टिक टंकी में भरा हुआ पाया गया। मौके पर डिटैनशुदा ट्रेक्टर टैंकर मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का मापन करने पर कुल 02 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया अर्थात (प्लास्टिक टकी व ट्रेक्टर टैकर) मे कुल 117 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। अप्रार्थी मनीष से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर किसी प्रकार के दस्तावेज नही होना बताया। अप्रार्थी मनीष द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किये

कलक्टर नागौर

जाने पर डिटैनशुदा पिकअप वाहन आर.जे. 21 जीबी. 7290 मय 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, ट्रेक्टर टैकर मय पेट्रोलियम पदार्थ 2 लीटर, कुल 117 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्त सुदा महेन्द्रा पिकअप पर बनी प्लास्टिक टंकी मे भरे पेट्रोलियम पदार्थ व ट्रेक्टर टैंकर मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ से बराबर मात्रा में नमूनों हेतु एक एल्युमिनियम की स्वच्छ बाल्टी मे पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। नमूनों हेतु लिए गये पेट्रोलियम पदार्थ को नमूनों हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन एल्युमिनियम के स्वच्छ पात्रों मे 1000 मिलीलीटर प्रति एल्युमिनियम पात्र भरकर तीनों पात्रों पर आवश्यक सूचनाऐं चस्पा कर तीनों नमूनों को ए.–1, ए.–2 व ए.–3 मार्का दिया गया। महिन्द्रा पिकअप पर बनी प्लास्टिक टंकी के उपरी ढक्कन को सील संख्या के.–091969 से सीलड किया गया एवं डिस्पैसिंग यूनिट से लगे नोजल को प्लास्टिक सील संख्या के.–091929 से सीलड किया गया। जब्तसुदा पिकअप महेन्द्रा वाहन संख्या आर.जे. 21 जी. बी. 7290 मय 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व ट्रेक्टर टैंकर मय 02 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ निर्णय होने तक प्रभारी माल खाना पुलिस थाना कोतवाली नागौर की सुपुर्दगी मे दिया जाकर प्राप्ति हस्ताक्षर करवाये गये। अप्रार्थीगण का यह कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी निर्देशों का उल्लघंन है जो धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

2(1)—प्रकरण में जब्ती के समय जब्तशुदा वाहन आरजे–21 जीबी–7290 के मालिक की जानकारी नहीं हो सकी, तत्पश्चात उक्त वाहन मालिक की जानकारी होने पर वाहन मालिक फतेह मोहम्मद को प्रकरण में अप्रार्थी पक्षकार बनाये जाने हेतु न्यायालय हाजा में प्रार्थी की से आवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका दिनांक 18.05.2022 अनुसार फतेह मोहम्मद को अप्रार्थी संख्या–2 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाकर अप्रार्थी संख्या–2 की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, परन्तु उसके न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या–2 के विरूद्ध न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 15.02.2023 के अनुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रकरण में स्वंय के प्रतिरक्षण में कोई जबाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अप्रार्थी संख्या–2 की प्रार्थी द्वारा उसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र पर मौन स्वीकृति की अवधारणा स्पष्ट होती है।

2(2)—प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur की रिपोर्ट कमांक–RFSL(JOD)/6518/CAE/145/21 दिनांक 31.10.2022में वर्णित किया गया है कि The liquid sample contained in the packet marked **A-1** dose not confirm the BIS specification of Diesel (IS-1460 : 2017) in respect of density at 15ºC and kinematic viscosity at 40ºC. On the basis of Distillation characteristics the above sample was found to be of petroleum hydrocarbon fraction having density 0.7721 at 15ºC and flash point 55ºC (Able). प्राप्त हुई है। **पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा–2.परिभाषाएं**–(ख) "पेट्रोलियम वर्ग ख" से ऐसा पेट्रोलियम अभिप्रेत है जिसका प्रज्वलन ताप तेईस डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर किन्तु पैंसठ डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। उक्त नमूना जॉच रिपोर्ट में जब्त शुदा पेट्रोलियम पदार्थ का flash point 55ºC (Able). बताया गया है, जो कि उक्तानुसार "ख" वर्ग का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जिसके परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है, का कथन करते हुए प्रकरण में जब्तसुदा पिकअप महेन्द्रा वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी.7290 मय 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व ट्रेक्टर टैंकर मय 02 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

3. वकील अप्रार्थी श्री पवन श्रीमाली ने बहस में कथन किया कि प्रवर्तन अधिकारी, डी.एस.ओ.नागौर द्वारा एक इस्तगासा दिनांक 19.10.2021 का हवाला देते हुए यह उल्लेख किया कि पुलिस थाना कोतवाली, नागौर द्वारा दिनांक 19.10.2021 को डिटेन किये अवैध बायो डीजल की सूचना दूरभाष पर दिये जाने पर श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी, हमराज दिव्या बिश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक, रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक, शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली, नागौर पहुंच कर थानाधिकारी से सम्पर्क किया। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त तहरीर के आधार पर मौके पर डिटेनसुदा महेन्द्रा पिकअप वाहन सं. आर. जे. 21 जी.बी. 7290 व ट्रैक्टर के

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

टैंकर का मौका निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री मनीष ने अपने बयानों में बताया कि यह महेन्द्रा पिकअप वाहन सं. आर. जे. 21 जी.बी. 7290 व ट्रैक्टर टैंकर उसका स्वयं का है व उसने दिनांक 11.10.2021 को हाईवे पर खड़े ऑयल टैंकर से उसकी पिकअप पर बनी 1000 लीटर क्षमता की प्लास्टिक टंकी में उसने 200 लीटर बायो डीजल भरवाया था। मौके पर डिटेन सुदा महेन्द्रा पिकअप वाहन सं. आर. जे. 21 जी.बी. 7290 का मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि महेन्द्रा पिकअप के उपर 1000 लीटर क्षमता की एक पारदर्शी प्लास्टिक की सफेद रंग की टंकी फिट की गई है जिसमें एक डिस्पैंसिंग यूनिट मय नोजल लगा हुआ पाया गया। उक्त पैट्रॉलियम पदार्थ का डिपरोड से मापन करने पर कुल 115 लीटर पैट्रॉलियम पदार्थ का मापन करने पर कुल 2 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया अथात (प्लास्टिक टंकी व ट्रैक्टर टैंकर) में कुल 117 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। श्री मनीष से पैट्रॉलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विक्रय से संबंधित दस्तावेज मांगने पर किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं होना बताया। मनीष द्वारा पैट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विक्रय से संबंधित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर डिटेनसुदा महेन्द्रा पिकअप वाहन सं. आर.जे. 21 जी.बी., 7290 मय 115 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ ट्रैक्टर मय पैट्रोलियम पदार्थ 2 लीटर कुल 117 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तसुदा महेन्द्रा पिकअप पर बनी प्लास्टिक टंकी में भरे हुए पैट्रोलियम पदार्थ व ट्रैक्टर टैंकर में भरे हुए पैट्रोलियम पदार्थ से बराबर मात्रा में नमूनों हेतु एक एल्यूमिनियम की स्वच्छ बाल्टी में पैट्रोलियम पदार्थ भरा गया। नमूनों हेतु लिए गए पैट्रोलियम पदार्थ को नमूनों हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन एल्यूमिनियम के स्वच्छ पात्रों में 1000 मिलीलीटर प्रति एल्यूमिनियम पात्र भरकर तीनों पात्रों पर आवश्यक सूचनाएं चस्पा कर तीनों नमूनों को ए–1, ए–2 व ए–3 मार्का दिया गया। महिन्द्रा पिकअप पर बनी प्लास्टिक टंकी के उपरी ढ़क्कन को सील सं. के 091969 से सील्ड किया गया एवं डिस्पेसिंग यूनिट से लगे नोजल को प्लास्टिक सील संख्या के –091929 से सील्ड किया गया। जब्तसुदा महेन्द्रा पिकअप वाहन सं. आर.जे. 21 जी.बी. 7290 मय 115 लीटर पैट्रॉलियम पदार्थ व ट्रैक्टर टेंकर मय 2 लीटर पैट्रॉलियम पदार्थ निर्णय होने तक प्रभारी मालखाना पुलिस थाना कोतवाली, नागौर की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति हस्ताक्षर करवाये गये।

3(1)—प्रवर्तन अधिकारी डी.एस.ओ. द्वारा अप्रार्थी मनीष का कृत्य अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व मोटरस्प्रीट और उच्च वेग डीजल (पदार्थ और वितरण का विनियमन और अनाचारनिवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन होना कथन किया है जो कि वर्तमान में किसी भी न्यायालय में दोषसिद्ध से पूर्व विचारण, सुनवाई व बचाव का अवसर भी अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना दोषसिद्ध के अभाव में उक्त जब्तसुदा वाहन पिकअप महिन्द्रा को राज सात किया जाना कतई न्याय संगत नहीं है।

3(2)—प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2021 की कार्यवाही का हवाला देकर पुलिस थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख किया है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही पुलिस थाना कोतवाली में जैर अनुसंधान है। ऐसी स्थिति में मात्र इस्तगासा प्रस्तुत करने या प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्टेज पर ही उक्त वाहन में पदार्थों अवैध मान लेना व अप्रार्थी को दोषी मान लेना न्याय संगत नहीं है। प्रकरण अभी अनुसंधान में चल रहा है जो भी न्यायालय में विचारण व दोषसिद्धि के पश्चात् ही उक्त वाहन आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 व 7 के अन्तर्गत संलिप्त नहीं माने जा सकते। ऐसी स्थिति में मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक व न्याय संगत नहीं है।

3(3)—जब्तसुदा माल/पदार्थ प्रार्थी का नहीं है।

3(4)—जब्तसुदा वाहन मनीष के मालिकाना हक का नहीं है न ही उक्त जब्तसुदा माल की जब्ती मनीष से की गई है वाहन के दस्तावेज का अवलोकन कर वाहन मालिक को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक व न्याय संगत नहीं है तथा अप्रार्थी मनीष को अपना जवाब प्रस्तुत किये जाने व सुनवाई का अवसर दिये जाने तथा उक्त जब्तसुदा वाहन को राजसात में नहीं लिये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

कलक्टर नागौर

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रिबटल में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का अप्रार्थीगण द्वारा उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत कार्यवाही हेतु विधि अनुसार यह प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 जो की एक दण्डनीय अपराध होने से उक्त संबंध में पृथक से प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली नागौर में दर्ज करवाई गई है। इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत कार्यवाही तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही, पृथक–पृथक कार्यवाही है। इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत पुलिस थाना कोतवाली नागौर में दर्ज होने से हस्तगत प्रकरण में बाद सुनवाई निर्णय किये जाने में किसी प्रकार की रोक नहीं है। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में फर्द मौका, फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा, फर्द नमूना व अप्रार्थी मनीष स्वंय के बयान की प्रतियां प्रस्तुत की गई है, जिन पर अप्रार्थी मनीष स्वंय के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी मनीष ने अपने बयानों में उक्त जब्तशुदा पीकअप वाहन में उसके द्वारा बायो डीजल भरवाना स्वीकार किया है। अप्रार्थी मनीष द्वारा हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा में जबाब प्रस्तुत किया है, जिसमें एक ओर उसके द्वारा जब्तशुदा माल/पदार्थ स्वंय का नहीं होने का कथन किया है। वहीं दूसरी ओर अप्रार्थी मनीष द्वारा जबाब प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर देने एवं जब्तशुदा वाहन को राजसात नही लिये जाने का निवेदन किया है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी मनीष को न्यायालय हाजा द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है, जिसके कम में अप्रार्थी मनीष द्वारा अपना जबाब भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी मनीष को सुनवाई का समुचित अवसर न्यायालय हाजा द्वारा प्रदान किया गया है। जहां तक प्रकरण में जब्तशुदा वाहन को राजसात नहीं करने का अप्रार्थी मनीष कथन है, उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि हस्तगत जब्तशुदा पीकअप वाहन का स्वामी अप्रार्थी संख्या–2 फतेह मोहम्मद है, जिसने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं ही लिया है। इस प्रकार अप्रार्थी मनीष का जब्तशुदा वाहन को राजसात नहीं करने का कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने प्रकरण में जब्तसुदा पिकअप महेन्द्रा वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी. 7290 मय 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व ट्रेक्टर टैंकर मय 02 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पुलिस थाना कोतवाली नागौर की इतिला पर रसद विभाग द्वारा दिनांक 19.10.2021 को पुलिस थाना कोतवाली नागौर पहूंच कर मौके पर पिकअप महेन्द्रा वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी.7290 मय 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व ट्रेक्टर टैंकर मय 02 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। वहां मौके पर अप्रार्थी मनीष उपस्थित मिला, जिसे पूछताछ करने उक्त वाहन व ट्रेक्टर टेंकर मय पेट्रोलियम पदार्थ को स्वंय का होना बताया, उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विकय संबंधित दस्तावेज मांगने पर अप्रार्थी मनीष द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं होना बताया। अप्रार्थी मनीष के पास उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विकय आदि की अनुज्ञप्ति नहीं होने से रसद विभाग द्वारा मौके पर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ, वाहन एवं ट्रेक्टर टेंकर को जब्त किया जाकर कार्यवाही की गई, जिसके संबंध में फर्द मौका, फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा, फर्द नमूना तैयार की गई एवं अप्रार्थी मनीष के बयान लिये गये, उक्त सभी दस्तावेजात पर अप्रार्थी मनीष द्वारा स्वंय के हस्ताक्षर किये गये है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप महेन्द्रा वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी.7290 का मालिक अप्रार्थी संख्या–2 फतेह मोहम्मद होने से उसे हस्तगत प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया, वह न्यायालय हाजा में उपस्थित ही नहीं हुआ, जिस पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी मनीष द्वारा अपने जबाब में प्रकरण में जब्तशुदा माल/पदार्थ स्वंय का नहीं होने का कथन किया है। एफ.एस. एल. रिपोर्ट के अनुसार जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ "ख" वर्ग का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जिसके परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में रसद विभाग द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रसद मामला आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा पिकअप महेन्द्रा वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी.7290 मय 115 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व ट्रेक्टर टैंकर मय 02 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का सम्पहरण (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ व ट्रेक्टर टैंकर का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा पिकअप महेन्द्रा वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी.7290 व ट्रेक्टर टैंकर के सम्पहरण के विकल्प में अप्रार्थी संख्या–2 फतेह मोहम्मद पर 10,0000/–रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये)जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या–2 फतेह मोहम्मद द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय की दिनांक से 45 दिवस के भीतर उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। अप्रार्थी संख्या–2 फतेह मोहम्मद द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर उक्त जब्तसुदा पिकअप महेन्द्रा वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी.7290 व ट्रेक्टर टैंकर का नियमानुसार नीलामी करने का आदेश दिया जाता है एवं नीलामी से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर